कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 30.06.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–20 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. भवानी प्रसाद उर्फ खुनखुन पुत्र स्व0 समयदीन नि0 सबलपुर मथुरा चौबे थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–492/21, 02. विजय कुमार पुत्र श्याम किशोर नि0 बनवरिया थाना को0 नगर जनपद के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–493/21, 03. राधा सोनकर पत्नी स्व0 बनवारी सोनकर नि0 धोबियनपुरवा दत्तनगर विसेन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–494/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.06.2021

लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 143/2021 धारा 363,366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामसिंह यादव पुत्र इन्दर यादव को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त थाना परसपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. रामसिंह यादव पुत्र इन्दर यादव नि0 घरकुइया थाना करनैलगंज गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–143/2021 धारा 363,366 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 योगेश कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 30.06.2021

25,000 – 25,000/– के इनामी गौ तस्करो से हुई पुलिस मुठभेड में एक घायल व एक गिरफ्तार, 02 जिन्दा गौवंश, गौवंश काटने के उपकरण एवं तमंचे/कारतूस भी बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को किसी भी दशा में गोकशी जैसी घटनाओं को न होने देने तथा गौ तस्करी जैसे सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने वाले अपराधिक कार्यों में लिप्त गौ तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। पुलिस अधीक्षक के दिये गए इन्ही निर्देशों के फलस्वरूप करनैलगंज पुलिस को गौवध निवारण अधि0 के वांछित गौ तस्करो को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है।

देर रात्रि करनैलगंज पुलिस गौवध निवारण अधि0 के वांछित अभियुक्तों की तलाश में रवाना थी कि तभी मुखबिर खास ने सूचना दी कि थाना करनैलगंज में गौवध निवारण अधि0 में वांछित अभियुक्त दो गौवंशो को काटने के उद्देश्य से लेकर जंगल की तरफ गए है। मुखबिर की दी हुई इस सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज ने मय पुलिस बल के बिरतिहनपुरवा मौजा बटौरा लोहांगी के पास यूकेलिप्टस की बगिया में दबिश देकर गौ तस्करो को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो अभियुक्तों ने जान से मारने की नियत से पुलिस बल पर कई राउंड फायर कर दिए। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग करते एवं साहस का परिचय देते हुए मौके से 02 अभियुक्तो–01. शाहबुद्दीन उर्फ सुकई, 02. शाहरूख को गिरफ्तार कर लिया। जिसमें से अभियुक्त सुकई को पैर में गोली भी लगी है। पुलिस मुठभेड में प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज भी घायल हुए है तथा थाने की सेकेण्ड मोबाइल क्षतिग्रस्त हुई है। अभियुक्तगणो के कब्जे से गोवंश काटने का सामान तथा तमंचा कारतूस भी बरामद किया गया। घायल अभियुक्त व प्रभारी निरीक्षक को ईलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। **मुठभेड में घायल अभियुक्त शाहबुद्दीन उर्फ सुकई थाना करनैलगंज का टॉप–10 अपराधी भी है जिसपर गौवध निवारण अधि0 के अलावा भी कई अन्य अभियोग पंजीकृत है।**

गिरफ्तार अभियुक्तगणः–

01. शाहबुद्दीन उर्फ सुकई पुत्र निजामुद्दीन नि0 ग्राम फकीर पुरवा मौजा भौका थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. शाहरूख कुरैशी पुत्र अहमद नि0 मोहल्ला नई बाजार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोगः–</u>

01. मु0अ0सं0–245/21 धारा 307,427 भादवि 3/5/8 गौवध निवारण अधि0, 11 पशु क्रूरता अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0–246/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

03. मु0अ0सं0–247/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगीः–</u>

01. 02 अदद जिन्दा गौवंश।

02. 02 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 08 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

03. 04 अदद नाजायज चाकू।

04. 01 अदद बांका।

05. 01 अदद लकड़ी का ठेला।

06. 03 टुकड़ा नायलॉन रस्सी।

07. 01 अदद एल0ई0डी0 लाइट।

<u>अभियुक्त शहाबुद्दीन उर्फ सुकई का अपराधिक इतिहास-</u>

01. मु0अ0सं0- 303/09, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0- 304/09, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

03. मु0अ0सं0- 449/12, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

04. मु0अ0सं0-17/16, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

05. मु0अ0सं0- 494/16, धारा 41/109 सीआरपीसी थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

06. मु0अ0सं0- 352/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

07.मु0अ0सं0-240/21, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 505(2) भादवि0 थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

<u>अभियुक्त शाहरुख कुरैशी का अपराधिक इतिहास-</u>

01.मु0अ0सं0-240/21, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 505(2) भादवि0 थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीमः–</u>

प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज संतोष कुमार सिंह मय टीम।

07 पुलिसकर्मी हुए सेवानिवृत्तः–

आज दिनांक 30.06.2021 को जनपद गोण्डा मे नियुक्त उ0नि0 अयोध्या प्रसाद मिश्र ,उ0नि0 श्री गजानन्द दुबे, उ0नि0 कृष्ण कुमार राव, उ0नि0 जयराम यादव, उ0नि0 कौशल किशोर, मु0आ0 झिनकू प्रसाद, स्वीपर अच्छन उर्फ रंगा अपनी पुलिस सेवा मे अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवा सेवानिवृत्त हुए। उनकी सेवानिवृत्ति पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री शिवराज द्वारा पुलिस कार्यालय गोण्डा मे विदाई समारोह का आयोजन कर विदाई दी गयी। विदाई समारोह मे अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा धार्मिक पुस्तके और सॉल आदि भेट की गयी तथा उक्त कर्मचारियों को उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि भविष्य मे किसी प्रकार की समस्या हो तो मुझसे सम्पर्क करे।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर लक्ष्मीकान्त गौतम, प्रतिसार निरीक्षक यशवन्त सिंह, वाचक अपर पुलिस अधीक्षक त्रियुगी शर्मा आदि कर्मचारीगण मौजूद रहे।